

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4118] No. 4118] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 2019/पौष 3, 1941

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2019/PAUSHA 3, 1941

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4602(अ).— केंद्र सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथासंशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन के प्रतिनिधि के रूप में प्रो. (डा.) गंगाधर, पूर्व-महासचिव भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,रायपुर के संस्थान निकाय का सदस्य नामित करती है तथा इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 09 फरवरी, 2015 को भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 528 (अ) के तहत प्रकाशित अधिसूचना संख्या जैड 28016/42/2013-एसएसएच दिनांक 09 फरवरी, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:

"8. प्रो. (डॉ.) गंगाधर, पूर्व महासचिव, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन"

सदस्य का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा.सं. जेड-28016/166/2015- एसएसएच]

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव

6598 GI/2019 (1)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2019

S.O. 4602(E).—In exercise of powers conferred by Clause (e) of Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Prof. (Dr.) Gangadhar, Former General Secretary, Indian Science Congress Association to be member of Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, Raipur as the representative of Indian Science Congress Association and for that purpose makes the following amendment in the notification of Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, number Z-28016/42/2013-SSH dated the 9th February, 2015 published in the Gazette of India Part II, section 3, Sub-Section (ii) vide S.O. 528 (E) dated the 9th February, 2015:

In the said notification, for serial number 8 and the entry relating thereto, the following serial number and entry should be substituted, namely:-

"8. Prof. (Dr.) Gangadhar, Former General Secretary, Indian Science Congress Association"

The terms of Office of member shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 .

[F. No. Z-28016/166/2015-SSH] SUNIL SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4603(अ).— केंद्र सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथासंशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4(च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में निम्नलिखित सदस्य को एतद्वारा नामित करती है:

डॉ. जगदीश चन्द्र दुआ, निदेशक प्रोफेसर, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली ।

सदस्य का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा ।

[फा.सं. जेड-28016/166/2015-एसएसएच]

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2019

S.O. 4603(E).—In exercise of the power conferred by Section 4 (f) of All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates the following as member of the Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, $\bf Raipur$:

Dr. Jagdish Chandra Dua, Director Professor, Lady Hardinge Medical College, New Delhi

The terms of Office of member shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 .

[F. No. Z-28016/166/2015-SSH] SUNIL SHARMA, Jt. Secy.